(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुनिल कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 127 / 2018 जीसीएमएस नम्बर :– 2017 / 00557

महावीर प्रसाद पुत्र प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी सांतड़िया, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं राज0

..........**वादी**

बनाम

1. अमीलाल पुत्र प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी सातड़िया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
2. सुरेन्द्र पुत्र प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी सातड़िया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
3. प्रताप पुत्र प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी सातड़िया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
4. ओमप्रकाश पुत्र प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी सातड़िया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
5. मिश्री देवी पत्नी प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी सातड़िया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
6. सुमीत्रा पुत्री प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी सातड़िया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0 हाल आबाद सिलारपुर अटेली मण्डी जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा
7. राजबाला पुत्री प्रभातीलाल पत्नी सुरेश जाति अहीर निवासी सातड़िया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0 हाल आबाद सिलारपुर अटेली मण्डी जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा
8. श्योराम पुत्र अमीलाल जाति अहीर निवासी सातड़िया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
9. विक्रम पुत्र महावीर जाति अहीर निवासी सातड़िया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
10. माधी पत्नी मोहर सिंह जाति अहीर निवासी सातड़िया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनिल कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

11. राजकुमार पुत्र मोहर सिंह जाति अहीर निवासी सातड़िया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
12. रामावतार पुत्र मोहर सिंह जाति अहीर निवासी सातड़िया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
13. मुन्नी पुत्री मोहर सिंह जाति अहीर निवासी सातड़िया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0 हाल आबाद सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
14. विमला पुत्री मोहर सिंह जाति अहीर निवासी सातड़िया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0 हाल आबाद सहड़ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
15. अनिल कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर निवासी सातड़िया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
16. बड़ौदा क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक जरिए शाखा प्रबन्धक बुहाना जिला झुंझुनूं राज0राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत– खाता विभाजन एवं घोषणात्मक

–:निर्णयः–

दिनांकः–7/2/23

(1). वादी की ओर से वादपत्र रहा किः–

1. वाके ग्राम सांतड़िया तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता स0 130 के खसरा नम्बर 38 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.71 है0, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.60 है0, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.35 है0, ख0 न0 515 रकबा 0.44 है0 ख0 न0 516 रकबा 0.4 है, कुल किता 8 कुल रकबा 3.69 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 लगायत 7 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी स0 8 व 9 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी स0 10 लगायत 14 का 1/4 हिस्सा [illegible] प्रतिवादी स0 15 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।
2. वादी एवं प्रतिवादी स0 [illegible] पिता /हकपूर्वाधिकारी ने अपने जीवनकाल मे वाद वर्णित भूमि मे अपने 1/4 हिस्सा में केवल पुत्र वादी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रतिवादी स0 3 व 4 को बटवारा कर भूमि दी गई थी। वादी का 1/4 हिस्सा अर्थात 0.9225 है0 भूमि प्रतिवादी स0 3 व 4 को दी गई थी वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी स0 1 व 2 को हिस्सा नही दिया गया था। उनको सांतडिया स्थित दुसरी भूमि में हिस्सा दिया गया था। प्रतिवादी स0 6 व 7 को उनके विवाह के समय भूमि के हिस्सा के बदले नगद राशि दी गई थी। इसलिए प्रतिवादी स0 5 लगायता 7 ने भूमि में अपने अपने हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 5 लगायत 7 का कभी भी भाग पर कब्जा कात नहीं है वादी अपने 0.5535 है0 भूमि पर बिना किसी बाधा के सबकी जानकारी में शांति पूर्वक काबिज काश्त है।

3. यह कि वादी अपने पिता के समय किए गए परिवारिक समझौतानुसार वाद वर्णित भूमि में अपने हिस्सा 0.05535 है0 भूमि के खातेदार अधिकारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादी की अपने हिस्सा की भूमि पर सुधार कार्य करने हेतु ऋण आदि लेने में असुविधा होने के कारण संयुक्त खातेदारी होने से मौके पर सीमाएं कायम रखने में भी परेशानी होती है। इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन भी करवाना चाहता है।
4. वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी–अपनी भूमि पर हिस्सा व सुविधा अनुसार वाद वर्णित भूमि पर कब्जा काश्त है। लेकिन खातेदारी संयुक्त है तथा अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।
5. विवादित भूमि वाद वर्णित भूमि कृषि भूमि वाके ग्राम सांतडिया तहसील बुहाना में स्थित हे जो कि माननीय न्यायालय श्रीमान जी क्षेत्राधिकार में स्थित है।

वादी ने वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि:–

(क). वाके ग्राम सांतड़िया तहसील बुहाना में स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता स0 130 के खसरा नम्बर 38 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.71 है0, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.60 है0, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.35 है0, ख0 न0 515 रकबा 0.44 है0 ख0 न0 516 रकबा 0.4 है, कुल किता 8 कुल रकबा 3.69 है0 भूमि की खातेदारी में प्रतिवादी स0 3 व 4 के नाम दर्ज कर, प्रतिवादी स0 1, 2 एवं 5 लगायत 7 का नाम हजफ कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। तथा वादी का बाहमी बंटवारे के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलहेदा खाता कायम किया जावे व अलहदा लगान कायम किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(ख). दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी स0 1 लगायत 15 की और से एडवोकेट प्रदीप सेन ने वकालतनामा पेश कर प्रतिदावा पेश किया।

प्रतिवादी सं. 1 लगायत 15 की और से इकबालिया जवाब दावा पेश किया कि— वाके ग्राम सांतडिया तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0 में स्थित जमांबदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता स0 130 के खसरा नम्बर 38 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.71 है0, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.60 है0, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.35 है0, ख0 न0 515 रकबा 0.44 है0 ख0 न0 516 रकबा 0.4 है, कुल किता 8 कुल रकबा 3.69 है0 प्रतिवादी स0 1 व 2 का जवाब रहा कि हम जवाब दाताओं का ग्राम सांतड़िया के अन्य भूमि में हिस्सा है। उक्त खाता में वादी के हिस्से में 0.5535 है0 व प्रतिवादी स0 4 के हिस्से में आई है। प्रतिवादी स0 5 लगायत 7 का जवाब रहा कि वादी के हिस्से में 0.5535 है0 व प्रतिवादी स0 3 व 4 को 0.3690 है0 भूमि हैं। उक्त भूमि प्रतिवादी स0 3 व 4 के नाम दर्ज किए जाने पर हमें कोई आपती नहीं है। उक्त खाते की भूमि हम वादी व प्रतिवादी स0 3 व 4 के पक्ष में हकत्याग कर चुकी है। प्रतिवादी स0 8 व 9 ने इकबालिया जवाब दावा पेश कर वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार किया है। प्रतिवादी स0 10 लगायत 14 का जवाब दावा रहा कि उक्त वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी स0 10 लगायत 14 का 1/4 हिस्सा है। तथा हमारे इस हिस्से का खाता विभाजन कर विभाजन में आने वाले रकबे में रास्ता का प्रावधान करते हुए खाता विभाजन कर दिया जावे। प्रतिवादी स0 15 की ओर से जवाबदावा पेश कर अनुतोष चाहा की वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी स0 15 का हिस्सा 1/4 का खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किया जावे।

(3). दावा वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमांबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 नकल नक्शा किश्तवार पेश किए गए।

(4) दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 22.07.2019 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 04—04—2022 को प्राप्त हुई । वादी ने न्यायालय हाजिर होकर बयान दिये हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत हैं। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(4). बहस सुनी गई।

(5). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–::आदेश::–

न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन व प्रतिदावा प्रतिवादी स0 1 से 15 का डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सांतड़िया तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित जमांबदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता स0 130 के खसरा नम्बर 38 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.71 है0, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.60 है0, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.35 है0, ख0 न0 515 रकबा 0.44 है0 ख0 न0 516 रकबा 0.4 है, कुल किता 8 कुल रकबा 3.69 है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी होवे।

(सुनिल कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 7/2/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनिल कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद संख्या:–127 / 2018
महावीर बनाम अमीलाल
निर्णय दिनांक:– 7/2/23

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– सुनिल कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 127 / 2018 जीसीएमएस नम्बर :– 2017 / 00557

निर्णय दिनांक :– 7/2/23

महावीर बनाम अमीलाल आदि

दावा बाबत– खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णयः–

वादी की ओर से **श्री सुरेश कटारिया एडवोकेट** की एवं प्रतिवादी सं. 1 से 15 की ओर से **श्री प्रदीप सेन एडवोकेट** की उपस्थिती व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में आज तारीख 7/2/23 को **सुनिल कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन व प्रतिदावा प्रतिवादी स0 1 से 15 का डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सांतड़िया तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित जमांबदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता स0 130 के खसरा नम्बर 38 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.71 है0, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.60 है0, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.35 है0, ख0 न0 515 रकबा 0.44 है0 ख0 न0 516 रकबा 0.4 है, कुल किता 8 कुल रकबा 3.69 है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '"अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 7/2/23 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर ... मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:39:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनिल कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनिल कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)